बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–पि0व0बजट–30–11 / 2015–16 पटना, दिनांक–22-2-16

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– बजट शीर्ष खण्ड–II–8000–आकस्मिकता निधि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु माँग संख्या–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा– 0101–शिक्षा के तहत केन्द्रांश में ₹20.22 करोड़ (रूपये बीस करोड़ बाईस लाख) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर एवं योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के आलोक में राज्यांश में ₹20.22 करोड़ (रूपये बीस करोड़ बाईस लाख) मात्र अर्थात कुल ₹40.44 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ चौवालिस लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत केन्द्रांश में ₹20.22 करोड़ (रूपये बीस करोड़ बाईस लाख) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर एवं योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के आलोक में राज्यांश में ₹20.22 करोड़ (रूपये बीस करोड़ बाईस लाख) मात्र अर्थात कुल ₹40.44 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ चौवालिस लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2– केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के केन्द्र प्रयोजित योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0214–प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कूट संख्या–3401–छात्रवृत्ति / वजीफा विपत्र कोड–8000–P2225032770214 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– राज्य योजना के तहत स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा कूट संख्या–3401–छात्रवृत्ति / वजीफा विपत्र कोड–P2225032770101 राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

5– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी, 2016 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2016 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंक खाता / नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

क्र0पृ0उ0

Letter of Princ.Secy(sanction order) (Harry)